

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की

क्रम सं० 07
समय 1:10 PM
तिथि 21.4.2014

आ०३३०-1-विधानसभा
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम
..... उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट
..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं०
पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम है जो संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०
..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है ।

तारीख 29/4/2014

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम ओम शक्ति वावा
पिता/माता/पति का नाम स्व. राम कृष्ण राव - सरदार
उसका डाक पता सा. ३०७१ - बन्दपुर गाँव २०४ भावा + एकस्वावा शिकारपुर प.प.का
उसका नाम 1. बालमिकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट २२३३ विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या २२ में क्रम सं० ३०४ पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो विहार राज्य के उस राज्य में के पारकियाँ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित पिंपडी **जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख 29/8/2018

औम शांति भाषा
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें ।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/ नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक गड़ी

(ii) पुलिस थाना (थाने) गड़ी

जिला (जिले) गड़ी

राज्य गड़ी

(iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था गड़ी

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) गड़ी

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था गड़ी

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुमाने (जुमानों) की राशि उपदर्शित करें १४
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) १४
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां :-
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) सम्मुख अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- १४
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है १४
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) १४
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति

स्थान :- बैतिया

तारीख :- २१/४/२०१४

ओम प्रकाश
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- ०७

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 21-4-2014 (तारीख) को 1-10 PM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 21-4-2014

विश्वजी प्रदाधिकारी
रिटनिंग आफिसर
01-सांख्यिक नगर ससदीय विभाजन क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटनिंग आफिसर)

5928261 2125

बिहार
JUDICIAL

19. 4. 2014
BIHAR

STAMP DUTY
00000
0000080
375344
Zero*Zero*Zero*Ze

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
WEST CHAMPARAN SCORE BETIA



प्ररूप 26

Registration No. 598
(नियम 4क देखिए)

भारत
STAMP DUTY
00000
Rs. 0000020
375344
Zero*Zero*Zero*Zero

बिहार
JUDICIAL 1723



21/04/14 J. N. Rao, Notary, Bettiah (1052)

निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन पर प्रतिज्ञा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं श्रीम शान्ति कान पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. रामलाल शर्मा आयु 50 वर्ष,

जो श्री. मोज नन्दपुर का नं. 104 बंगला बिहारपुर में निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ।

शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं कांग्रेस (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम श्रीम शान्ति कान (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 88 के क्रम सं० 304 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं मो. 8757204372
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं।

(4) मेरे पास नहीं लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :-



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)
1.	स्वयं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित-1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

NOTARISED
 1. Notary
 2. Notary
 3. Notary
 4. Notary
 5. Notary
 6. Notary
 7. Notary
 8. Notary
 9. Notary
 10. Notary
 11. Notary
 12. Notary
 13. Notary
 14. Notary
 15. Notary
 16. Notary
 17. Notary
 18. Notary
 19. Notary
 20. Notary
 21. Notary
 22. Notary
 23. Notary
 24. Notary
 25. Notary
 26. Notary
 27. Notary
 28. Notary
 29. Notary
 30. Notary
 31. Notary
 32. Notary
 33. Notary
 34. Notary
 35. Notary
 36. Notary
 37. Notary
 38. Notary
 39. Notary
 40. Notary
 41. Notary
 42. Notary
 43. Notary
 44. Notary
 45. Notary
 46. Notary
 47. Notary
 48. Notary
 49. Notary
 50. Notary
 51. Notary
 52. Notary
 53. Notary
 54. Notary
 55. Notary
 56. Notary
 57. Notary
 58. Notary
 59. Notary
 60. Notary
 61. Notary
 62. Notary
 63. Notary
 64. Notary
 65. Notary
 66. Notary
 67. Notary
 68. Notary
 69. Notary
 70. Notary
 71. Notary
 72. Notary
 73. Notary
 74. Notary
 75. Notary
 76. Notary
 77. Notary
 78. Notary
 79. Notary
 80. Notary
 81. Notary
 82. Notary
 83. Notary
 84. Notary
 85. Notary
 86. Notary
 87. Notary
 88. Notary
 89. Notary
 90. Notary
 91. Notary
 92. Notary
 93. Notary
 94. Notary
 95. Notary
 96. Notary
 97. Notary
 98. Notary
 99. Notary
 100. Notary

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, नामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 50000/-	₹ 15000/-	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंककारी वित्तीय	नहीं	चालू जमा ₹ 10,00,000/- बैंक नियमित जमा ₹ 2,00,000/-	नहीं	नहीं	नहीं

21/04/2024

JAGAI NARAYAN
 NOTARY
 W. CHAMPARAN
 BETTIAN
 Appointed by Govt. of Bihar

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	not	not	not	not	not
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	not	not	not	not	not
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	not	not	not	not	not
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	not	not	not	not	not
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	अन्य कारवाही 2014 वर्ष	not	not	not	not
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	not	जेवरात की संख्या	not	not	not
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	not	not	not	not	not
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,40,000/-	2,50,000/-	not	not	not

आ: स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i) कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	अवस्थिति 60/1/1/1/1	not	not	not	not
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	60/1/1/1/1	not	not	not	not

1. Notary Board
2. Notary Board
3. Notary Board
4. Notary Board
5. Notary Board
6. Notary Board
7. Notary Board
8. Notary Board
9. Notary Board
10. Notary Board
11. Notary Board
12. Notary Board
13. Notary Board
14. Notary Board
15. Notary Board
16. Notary Board
17. Notary Board
18. Notary Board
19. Notary Board
20. Notary Board
21. Notary Board
22. Notary Board
23. Notary Board
24. Notary Board
25. Notary Board
26. Notary Board
27. Notary Board
28. Notary Board
29. Notary Board
30. Notary Board
31. Notary Board
32. Notary Board
33. Notary Board
34. Notary Board
35. Notary Board
36. Notary Board
37. Notary Board
38. Notary Board
39. Notary Board
40. Notary Board
41. Notary Board
42. Notary Board
43. Notary Board
44. Notary Board
45. Notary Board
46. Notary Board
47. Notary Board
48. Notary Board
49. Notary Board
50. Notary Board
51. Notary Board
52. Notary Board
53. Notary Board
54. Notary Board
55. Notary Board
56. Notary Board
57. Notary Board
58. Notary Board
59. Notary Board
60. Notary Board
61. Notary Board
62. Notary Board
63. Notary Board
64. Notary Board
65. Notary Board
66. Notary Board
67. Notary Board
68. Notary Board
69. Notary Board
70. Notary Board
71. Notary Board
72. Notary Board
73. Notary Board
74. Notary Board
75. Notary Board
76. Notary Board
77. Notary Board
78. Notary Board
79. Notary Board
80. Notary Board
81. Notary Board
82. Notary Board
83. Notary Board
84. Notary Board
85. Notary Board
86. Notary Board
87. Notary Board
88. Notary Board
89. Notary Board
90. Notary Board
91. Notary Board
92. Notary Board
93. Notary Board
94. Notary Board
95. Notary Board
96. Notary Board
97. Notary Board
98. Notary Board
99. Notary Board
100. Notary Board

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितिया)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

21/05/2024
NOTARY
R. CHAMPAN
BETTLAR
 Appointed by C.M.O. Bihar

Handwritten text in Hindi, possibly a signature or stamp, located in the top right corner.

विभाग को शोध					
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	नहीं	नहीं	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	नहीं	नहीं	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
आय-कर शोध	नहीं	नहीं	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
धनकर शोध	नहीं	नहीं	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
सेवाकर शोध	नहीं	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
विक्रयकर शोध	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
कोई अन्य शोध	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी	गुड़ी

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं..... खाना बेचना
 (ख) पति या पत्नी..... खाना बेचना

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

शास्त्रा
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	प्रश्नार्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ <u>अमित शक्ति शर्मा</u>
2	जुके का पूरा पता	<u>श्री. नरेश्वर कर्नूल</u> <u>मान विभाग 24 ST. गिरधर न. चम्परा</u>
	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>1</u> <u>बलेश्वर नगर</u> <u>बिहार राज्य</u>



AUTHORIZED
 Under Section 8(1) of the
 Notaries Act, 1956

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अन्यर्था को खड़ा किया है (अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	not				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद् (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	not				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	not				
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अन्यर्था	not				
	(ख) पति या पत्नी	not				
	(ग) आश्रित	not				
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	not	not	not	not	not
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	not	not	गड़ी	गड़ी	गड़ी
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) कि	not	not	गड़ी	गड़ी	गड़ी
	iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	not	not	गड़ी	गड़ी	गड़ी

NOTARY
 CHAMPAN
 MITTAL
 Appointed by Govt. of Bihar

	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9	दायित्व					
	i सरकारी शोध (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	i सरकारी शोध (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 27/12/2018 को सत्यापित किया गया।

अभिषाक्षी
Si Om Shanti Baba & Sigha
21/12/18



1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण:

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पार 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....